निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही, पर्यवेक्षकों के चैनल में अपनाए जाने वाली कार्यप्रणाली

समुदायों से सम्पर्क व तालमेल सुनिश्चित करना ।

सभी नीतिगत मामलों को निर्णय हेतु निदेशक ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हि0प्र0 द्वारा प्रशासक विभाग को भेजा जाता है । निदेशालय में निदेशक द्वारा विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तथा निदेशक की सहायता अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक (आई सी डी एस), उप निदेशक (सा0 न्याय एवं अधि0), उप निदेशक (एस सी एस पी), कार्यक्रम अधिकारी (आई सी डी एस), विशेष पोषाहार अधिकारी एवं सहायक नियन्त्राक (वित्त एवं लेखा) करते हैं ।

निदेशक (सा0 न्याय एवं अधि0) द्वारा विभिन्न अधिकारियों को उनकी निपुणता के अनुसार कार्य सौंपा जाता है तथा वे अपने कार्य / नियत कार्य के लिए निदेशक (सा0 न्याय एवं अधि0) के प्रति उत्तर दायी हैं । अन्तिम निर्णय के लिए नस्तियां निदेशक (सा0 न्याय एवं अधि0) को प्रस्तुत की जाती हैं ।